

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002**

No. F.3 (17)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 18/

Dated: 15/10/20

Notification No 56/2019- State Tax

No. F.3 (17)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 14th November, 2019.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),-

(i) in **FORM GST RFD-01**, in Annexure 1,

(a) for **Statement 1A**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure

[clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of documents of inward supplies received of inputs received							Tax paid on inward supplies			Details of documents of outward supplies issued					Tax paid on outward supplies		
	Type of Inward Supply	GSTIN of Supplier /Self GSTIN	Type of Document	No./ B/ E	Port Code	Date	Taxable Value	Inte grat ed Tax x	Central Tax	State/ U T Tax	Type of Outward Supply	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											B2B/ B2C							

(b) for **Statement 2**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export of services with payment of tax (accumulated ITC)

Sr. No.	Document Details					Integrated Tax	Cess	BRC/ FIRC		
	Type of Document	No.	Date	Value	Taxable value			No.	Date	Value
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
										”;

(c) for **Statement 3**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 3 [rule 89(2)(b) and rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

Sr. No.	Document Details				Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC		
	Type of Document	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Re f No.	Date	No.	Date	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													”;

(d) for **Statement 4**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 4 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

**Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer
(on payment of tax)**

GSTIN of recipient	Document Details				Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Taxable Value	Integrated Tax	Cess
	Type of Document	No.	Date	Value	No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(e) after **Statement 4**, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 4A

**Refund by SEZ on account of supplies received from DTA – With payment of
tax**

GSTIN of Supplier	Document Details				Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Taxable Value	Integrated Tax	Cess
	Type of Document	No.	Date	Value	No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

- (f) for **Statement 5**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

**Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer
(without payment of tax)**

Sr. No.	Document Details				Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice no.	
	Type of Document	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

- (g) for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by supplier

Sl. No.	Document details of inward supplies in case refund is claimed by Supplier				Tax paid			
	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by recipient

Sl. No		Document details of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
		GSTIN of Supplier	Type of Document	No	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(h) for **Statement 6**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-state to intra-state and vice versa)

Document Type B2C/Registered	Receipt GSTIN/UID	Name (in case of B2C)	Document Details				
			Type of Document	No.	Date	Value	Taxable Value
1	2	3	4	5	6	7	8

Details of documents covering transaction considered as intra –State / inter-State transaction earlier					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State/UT Tax	Cess	Pos
9	10	11	12	13	14

Transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State/UT Tax	Cess	Pos
15	16	17	18	19	20

(ii) in **FORM GSTR-9**, in the Table,-

(a) against serial number 8C, in column 2,-

(A.) before the letters and words “ITC on inward supplies”, the word, letters and figures “For FY 2017-18” shall be inserted;

(B.) after the entry ending with the words and figures, “April 2018 to March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :-

“For FY 2018-19, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2018-19 but availed during April 2019 to September 2019” ;

(b) in Pt. V,-

(A.) before the words "Particulars of the transactions", the word, letters and figures "For FY 2017-18" shall be inserted;

(B.) after the heading ending with the words and figures "April 2018 till March 2019", the following entry shall be inserted, namely :-

"For FY 2018-19, Particulars of the transactions for the FY 2018-19 declared in returns between April 2019 till September 2019";

(iii) in **FORM GSTR-9**, in the instructions,

(a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"2. It is mandatory to file all **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the financial year for which the return is being filed for before filing this return and for FY 2017-18, the details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.";

(b) in paragraph 4, -

(A.) before the words, "It may be noted", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;

(B.) after the words, letters and figures, "that additional liability for the FY 2017-18", the letters and figures "or FY 2018-19" shall be inserted;

(C.) after the words, "taxpayers cannot claim input tax credit", the words, letters and figures "unclaimed during FY 2017-18", shall be omitted;

(D.) in the Table, in second column , -

(I) against serial number 4I, after the entry ending with the words " filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.";

(II) against serial number 4J, after the entry ending with the words " filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

(III) against serial number 4K & 4L, after the entry ending with the words " filling up

these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.”;

(IV) against serial number 5D, 5E and 5F, after the entry ending with the words, figures and brackets “under Non-GST supply (5F).”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either separately report his supplies as exempted, nil rated and Non-GST supply or report consolidated information for all these three heads in the “exempted” row only.”;

(V) against serial number 5H, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(VI) against serial number 5I, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:- “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(VII) against serial number 5J & 5K, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(c) in paragraph 5, in the Table, in second column , -

(A.) against serial number 6B, after the entry ending with the words, figure, brackets and letter “under 6(H) below.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.”;

(B.) against serial number 6C and serial number 6D, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.

For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report Table 6C and Table 6D separately or report the consolidated details of Table 6C and 6D in Table 6D only.”;

(C.) against serial number 6E, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs and capital goods or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.”;

(D.) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, after the entry ending with the words, figures and letters “in 7E of **FORM GSTR-9**.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only. However, reversals on account of TRAN-1 credit (Table 7F) and TRAN-2 (Table 7G) are to be mandatorily reported.”;

(E.) against serial number 8A,-

(I) for the letters and figures, “FY 2017-18”, the words “the financial year for which the return is being for” shall be substituted;

(II) before the words, “It may be noted”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(III) after the entry ending with the words “auto-populated in this table.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2018-19, It may be noted that the **FORM GSTR-2A** generated as on the 1st November, 2019 shall be auto-populated in this table. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in **FORM GSTR-9C** (without the CA certification).”;

(F.) against serial number 8B, after the entry ending with the words “be auto-populated here.”, the following entry shall be inserted, namely:- “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to

8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).” ;

(G.) against serial number 8C,—

(I) before the words, “Aggregate value of”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(II) after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2018-19, Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during April 2018 to March 2019 but credit on which was availed between April 2019 to September 2019 shall be declared here.”;

(III) after the entry ending with the words “for filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).”;

(H.) against serial number 8D, after the entry ending with the words “shall be negative.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).” ;

(d) in paragraph 7,—

(A.) before the words and letter “Part V consists”, the word, letters and figures “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(B.) after the entry ending with the words and figures “April 2018 to March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :-

“For FY 2018-19, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2019 to September 2019.”;

(C.) in the Table, in second column ,—

(I) against serial number 10 & 11,

(1.) before the words, “Details of additions”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(2.) after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry

shall be inserted, namely:-

“For FY 2018-19, Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April 2019 to September 2019 shall be declared here.”;

(II) against serial number 12,

(1.) before the words, “Aggregate value of”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(2.) after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2018-19, Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.”;

(III) against serial number 13, –

(1.) before the words, “Details of ITC for”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(2.) after the entry ending with the words, letters and figures “annual return for FY 2018-19.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2018-19, Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2018-19 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2019-20, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2019-20. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.”;

(e) in paragraph 8, in the Table, in second column, –

(A.) against serial number 15A, 15B, 15C and 15D, after the words and letters “details of non-GST refund claims.”, the words and figures “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.” shall be inserted;

(B.) against serial number 15E, 15F and 15G, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;

(C.) against serial number 16A, after the words "filling up these details.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;

(D.) against serial number 16B and serial number 16C, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017- 18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;

(E.) against serial number 17 & 18, after the words "value of inward supplies.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018- 19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;

3. In the said rules, in **FORM GST GSTR-9C**, in the instructions, in paragraph 2,

(i) for the letters and figures, "FY 2017-18", the words "current financial year" shall be substituted;

(ii) before the words, "The details for the", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;

(iii) in Paragraph 4, in the Table, in second column,—

(a) against serial number 5B and serial number 5C, after the entry ending with the words and brackets "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(b) against serial number 5D, after the entry ending with the words "not required to be included here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(c) against serial number 5E and serial number 5F, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this

table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

(d) against serial number 5G, after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

(e) against serial number 5H, serial number 5I, serial number 5J, serial number 5K, serial number 5L, serial number 5M and serial number 5N, after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

(iv) in paragraph 6, in second column ,—

(A.) against serial number 12B, after the entry ending with the words and figures “availed during Financial Year 2017-18.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

(B.) against serial number 12C, after the entry ending with the words “ shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

(C.) against serial number 14, after the entry ending with the words “are to be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:-

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

(v) for Part B, the following shall be substituted, namely:-

“PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—

(a) Balance sheet as on

(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period

beginning fromto ending on, and

(c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto ending on, —attached herewith, of M/s (Name),..... (Address), (GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the DGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the DGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

1.

2.

3.

3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any:

.....

.....

3. (b) *I/we further report that, -

(A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.

(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from *my/ our examination of the books.

(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement (if available) are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business atand **.....additional place of business within the State.

4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the DGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.

5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and fair subject to following observations/qualifications, if any:

(a)

(b)

(c)

.....

.....

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:

*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s.

..... (Name and address of the assessee with GSTIN) was conducted by M/s. (full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of theAct, and *I/we annex hereto a copy of their audit report dated

..... along with a copy of each of :-

- (a) Balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on ,
- (c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto ending on, and
- (d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

2. I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the DGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the DGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.

3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the DGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the DGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.

4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and fair subject to the following observations/qualifications, if any:

- (a)
- (b)
- (c)

.....

**** (Signature and stamp/Seal of the Auditor)**

Place:
Name of the signatory
Membership No.....
Date:
Full address

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

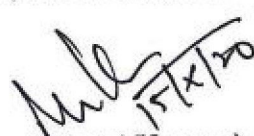

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(17)/Fin(Rcv-I)/2020-21/DS-IV/11/

Dated: 15/10/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, (i) vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 49/2019 - State Tax, dated:-14/10/2020, published vide No. F.3 (51)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/120, dated:- 14/10/2020.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली-110 002.

दिनांक: 15/10/20

सं.फा. 3(17)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 14 नवम्बर, 2019 से लागू होंगे।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के, उपबंध 1 में,

कथन 1क के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 1क (नियम 89(2)(ज)

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

(ख) कथन 2ख के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कथन 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात (संचित आईटीसी)

[illegible]

(ग) कथन 3 के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

क्र. सं०	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बीआरसी/एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		प्लान कोड	सं.	तारीख	रादर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(घ) कथन 4, के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 4 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार: विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण (कर के संदाय)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईजेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत मूल्य	उपकर
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ड.) कथन 4 के पश्चात पर निम्नलिखित कथन अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 4क

डीटीए से प्राप्त प्रदायों के कारण विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) द्वारा प्रतिदाय-कर के संदाय सहित

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईजेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत मूल्य	उपकर
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(घ) कथन 5 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार : एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को प्रदाय किए जाने के कारण (कर के संदाय के बिना)

क्र. सं.	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं(मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईजेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक	
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

(छ) कथन 5ख के पश्चात पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क. सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय के मामले में आवक प्रदायों के दस्तावेज ब्यौरे	संदत्त कर						
		दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ज) कथन 6 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्—

“कथन 6 [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के कारण (अंतरराज्यिक से राज्यान्तरिक और विपर्ययन)

दस्तावेज का प्रकार ख2ग/रजिस्ट्रीकृत	प्राप्तिकर्ता जीएसटीआईएन/यूआईएन	नम (बी2ग के मामले में)	दस्तावेज के ब्यौरे				
			दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व के राज्यान्तरिक/अंतरराज्यिक रूप में विचारणीय संव्यवहार आच्छादित दस्तावेजों के ब्यौरे					
अंतरराज्यिक/राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
9	10	11	12	13	14

संव्यवहार जिसके लिए अंतरराज्यिक/राज्यान्तरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे					
अंतरराज्यिक/राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
15	16	17	18	19	20

(ii) प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी में,

(क) कम संख्या 8ग के सामने, स्तंभ 2 में,—

(अ) “प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :

(आ) “(अप्रैल 2018 से मार्च 2019)” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आवक प्रदायों पर आईटीसी (रिजर्व भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं सहित) 2018-2019 के दौरान प्राप्त किंतु अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के दौरान उपभोग किए गए”;

(ख) भाग v में,—

(अ) “चालू वित्तीय वर्ष” के लिए शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) “संव्यवहारों की विशिष्टियां” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए, अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2018-19 के संव्यवहारों की विशिष्टियां”;

(iii) प्ररूप जीएसटीआर-9 के अनुदेशों में,—

(क) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:— “इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए यह विवरणी फाइल की गई है, सभी प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख का भरा जाना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाए।”;

(ख) पैरा 4 में,—

(अ) “यह नोट किया जाए” शब्दों के पहले “वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) “वित्तीय वर्ष 2017-18” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या वित्तीय वर्ष 2018-19” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) “इस विवरणी के माध्यम से” शब्दों के पश्चात् आने वाले शब्दों “वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दावा न किए गए” का लोप किया जाएगा;

(ई) सारणी के दूसरे स्तंभ में,—

(i) कम संख्या 4झ के सामने “9ख का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड. में के जमापत्रों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(ii) कम संख्या 4ज के सामने “9ग का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड. में के नामे नोट के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(iii) कम संख्या 4ट और 4ठ के सामने “9ग का उपभोग किया जा सकेगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड. में के संशोधनों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।”;

(iv) कम संख्या 5घ, 5ड और 5च के सामने “(5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।” शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017-2018 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास केवल “छूट प्राप्त” पंक्ति के इन तीनों सभी शीर्षों के लिए उसके शून्य दर और गैर जीएसटी छूट प्राप्त प्रदायों की प्रत्येक रूप से या समेकित रूप से सूचना देने का विकल्प होगा।”;

(v) कम संख्या 5ज के सामने, “प्ररूप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक् रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।”;

(vii) कम संख्या 5झ के सामने, “प्ररूप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की

जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रूप से लिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(viii) कम संख्या 5अ और 5ट के सामने, "प्ररूप जीएसटीआर - 1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, संशोधनों का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(अ.) कम संख्यांक 6ख के सामने "इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में पृथक रूप से की जाने चाहिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(आ.) कम संख्यांक 6ग और 6घ के सामने "सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों के समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास विकल्प होगा कि वह या तो सारणी 6ग और सारणी 6घ में पृथक रूप से प्रस्तुत करें या सारणी 6ग और सारणी 6घ के समेकित ब्यौरे केवल सारणी 6घ में प्रस्तुत करें।";

(इ.) कम संख्यांक 6ड. के सामने "सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(ई.) कम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड., 7च, 7छ और 7ज के सामने "प्रविष्टि प्ररूप जीएसटीआर-09 की 7ड. में आएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उलटने की सूचना पृथक रूप से सारणी 7क से 7ड. में भरे या उलटने की संपूर्ण रकम केवल सारणी 7ज में प्रस्तुत करें। तथापि, ट्रान-1 प्रत्यय (सारणी 7च) और ट्रान-2 (सारणी -7छ) के कारण उलटना आज्ञापक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";

(उ) कम संख्यांक 8क के सामने,-

(i) शब्दों और अंकों "वित्तीय वर्ष 2017-18" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी होनी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शब्दों "यह ध्यान दिया है कि" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) शब्दों "स्वतः दर्शाया जाएगा" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2019 को उत्पन्न प्ररूप जीएसटीआर -2 को इस सारणी में स्वतः दर्शाया गया जाएगा।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें।";

(ऊ) कम संख्यांक 8ख के सामने, "स्वतः दिखाया जाएगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें।";

(ऋ) कम संख्यांक 8ग के सामने,-

(i) शब्दों "सभी आवक प्रदायों के लिए इनपुट" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) शब्दों "यहां घोषणा की जाएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी।

(iii) "ये ब्यौरे भरने के लिए" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी (सीए प्रमाणन के बिना) में सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(ए) कम संख्या 8घ के सामने "नकारात्मक होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्रारूप में (सीए के प्रमाणन के बिना) में सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(च) पैरा 7 में,-

(अ) "भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों, किंतु जो अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच प्ररूप जीएसटीआर 3ख में संदत्त की गई है, से मिलकर बना है।”;

(इ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,—

(i) कम सं० 10 और कम सं० 11 के सामने,—

(1) “वर्धन के ब्यौरे” शब्दों से पूर्व, “वित्त वर्ष 2017-18” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) “की यहां घोषणा की जाएगी” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, भाग पूर्व वित्त वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित किन्हीं पूर्तियों में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 9क, सारणी 3ख और सारणी 9ग में यहां घोषित किए जाएंगे।”;

(ii) क्रम सं० 12 के सामने,—

(1) “समग्र मूल्य, शब्दों से पूर्व, “वित्त वर्ष 2017-18 के लिए” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(2) “इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीसी को उलट करने का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्त वर्ष में लाभ उठाया गया था किंतु जिसे अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के मास के लिए फाइल की गई विवरणी में उलट दिया गया था, की यहां घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4ख का उन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी न भरने का विकल्प होगा।”;

(iii) क्रम सं० 13 के सामने,—

(1) “आईटीसी के ब्यौरे” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीसी के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे,

(2) “वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं की आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिए आईटीसी का अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 मास के लिए फाइल की गई विवरणी में लाभ लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यद्यपि, कोई आईटीसी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में उलट दिया गया था किंतु जिसका वित्त वर्ष 2019-20 में पुनः दावा किया गया था, पुनः दावा किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा।”;

(ड) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,—

(अ) कम सं. 15क, कम सं. 15ख, कम सं० 15ग और कम सं० 15घ के सामने “इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं हैं” शब्दों के पश्चात्, “वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष

2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी के न भरने का विकल्प होगा।" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) 15ड., 15च, और 15छ के सामने "मूल्य यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा।" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) कम संख्यांक 16क के सामने, "इन व्यौरों को भरने के लिए किए जा सकेगा" शब्दों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी के न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ई) कम संख्यांक 16ख और कम संख्यांक 16ग के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी के न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(उ) कम संख्यांक 17 और 18 के सामने, "आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो" शब्दों अंकों और चिन्हों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी के न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

3. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर-9ग के, अनुदेशों में, पैरा 2 में,

(i) "वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) "जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए व्यौरें" अक्षरों, शब्दों और अंकों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

(iii) पैरा 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में—

(क) कम संख्यांक 5ख और कम संख्यांक 5ग के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(ख) कम संख्यांक 5घ के सामने, "यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(ग) कम संख्यांक 5ड. और कम संख्यांक 5च के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा/की जाएगी" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";

(घ) कम संख्यांक 5छ के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं

समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(ड.) कम संख्यांक 5ज, कम संख्यांक 5झ, कम संख्यांक 5ञ, कम संख्यांक 5ट, कम संख्यांक 5ठ, कम संख्यांक 5ड, और कम संख्यांक 5ढ के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा/की जाएगी” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(iv) पैरा 6 में, दूसरे स्तम्भ में,-

(अ) कम संख्यांक 12ख के सामने, “उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया” शब्दों और अंकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(आ) कम संख्यांक 12ग के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(इ) कम संख्यांक 14 के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:- “वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(v) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

भाग - ख-प्रमाणीकरण

I. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर-9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है;

मैंने / हमने.....

(क).....को तुलन-पत्र की

(ख).....से आरंभ होने वाले औरको समाप्त होने वाली अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की, और

(ग) यहां संलग्न.....से आरंभ होने वाली और.....को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध है), मैसर्स.....(नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की परीक्षा कर ली है।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. (क) *मैं/ हम निम्नलिखित प्रेक्षकों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, तो रिपोर्ट करते हैं।

3. (ख) *मैं/ हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,—

(अ)*मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन—पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध हो) राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।

4. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

5. *मेरी/हमारी राय में और मेरी /हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षकों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं :

(क)

(ख)

(ग)

**** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)**

स्थान:

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख:

पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारित का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मैं सदस्यता सं. धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क) को तुलन-पत्र;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा;

(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

*ने दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों /जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

*ने दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

4. *मेरी/हमारी राय में मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों /अर्हताओं, यदि कोई हों, के अधीन उक्त प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान:

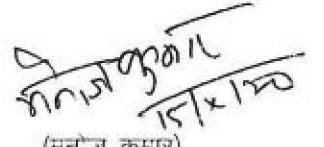
हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख:

पूरा पता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)

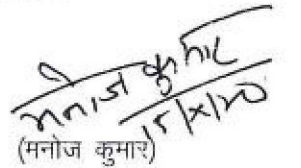
उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(17)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/15/

दिनांक: 15/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. वेब साईट।
11. गार्ड फाइल।


(मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (वित्त)

टिप्पण: मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग- IV में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं.फा. सं.फा. 3(10)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और इनमें अंतिम संशोधन सं.फा. 3(51)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डी.एस. IV/120 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 49/2019-दिल्ली कर, तारीख 14/10/2020 के माध्यम से किया गया था।